2022/308

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री जवानसिंह राव पुत्र श्री रतनसिंह राव जाति राव निवासी अनादरा तहसील रेवदर जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं.39 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल म जारी हुए
22.08.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्व सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 21.06.2022 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर डी.वी. पिटीशन नं. 481/2022 ग्रामदानी गांव अनादरा के खसरा सं. 1855 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा एवं खसरा सं. 1858 रकबा 04 बीघा 04 बिस्वा के सन्दर्भ में पारित आदेश दिनांक 18.01.2022 की पालना में जिला कलक्टर कार्यालय सिरोही के द्वारा क्या कार्यवाही की गई, जिसकी सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 21.06.2022 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर डी.बी. पिटीशन नं. 481/2022 ग्रामदानी गांव अनादरा के खसरा सं. 1855 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा एवं खसरा सं. 1858 रकबा 04 बीघा 04 बिस्वा के सन्दर्भ में पारित आदेश दिनांक 18.01.2022 की पालना में जिला कलक्टर कार्यालय सिरोही के द्वारा क्या कार्यवाही की गई, जिसकी सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट को चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानु[illegible] करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो [illegible] सूचित करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । Bhlw (डॉ. भँवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:43:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner